भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं:. 2624

उत्तर देने की तारीख :04.08.2026

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृहों की प्रचालन स्थिति

2624. डॉ:बायरेड्डी शबरी .

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्थापित गरिमा गृह आश्रयों की कुल संख्या, उनकी क्षमता तथा लाभार्थियों की संख्या का आश्रय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संचालन एवं रखरखाव के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों के स्वीकृत पदों और वर्तमान कर्मचारियों की स्थिति सहित प्रत्येक आश्रय गृह के लिए कार्य-भूमिका-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) नए आश्रय गृहों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/सीबीओ से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) क्या कर्मचारियों, अवसंरचना, सेवा वितरण या आउटरीच मुद्दों सहित किसी भी प्रचालन या प्रशासनिक चुनौती की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों या परिवादों की संख्या और उन पर-की-गई कार्रवाई का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) गरिमा गृह आश्रयों की प्रचालन दक्षता, सेवा वितरण और पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 20 गरिमा गृह चल रहे हैं और वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान तीन [पुडुचेरी (1) और उत्तर प्रदेश (2)] और गरिमा गृह स्वीकृत किए गए हैं।

प्रत्येक गरिमा गृह की न्यूनतम क्षमता 25 बेड की है।

विगत पांच वर्षों के दौरान गरिमा गृह आश्रयों और लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): गरिमा गृह आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास) योजना का एक घटक है, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; इसलिए, निधियां राज्यों के अनुसार आवंटित नहीं की जाती हैं, बल्कि सीधे कार्यान्वयन संगठनों को जारी की जाती हैं।

इसके संचालन और रखरखाव के लिए आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): प्रत्येक गरिमा गृह में कर्मचारियों के 11 पद स्वीकृत हैं, और वर्तमान में, प्रत्येक गरिमा गृह में 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। गरिमा गृह के कर्मचारियों का कार्य भूमिका-वार विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ): 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें नए गरिमा गृहों की स्थापना के संबंध में सिफारिश हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया था।

प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 06 नए गरिमा गृह स्वीकृत किए गए हैं:
झारखंड (1), मणिपुर (1), मध्य प्रदेश (1), पुडुचेरी (1) और उत्तर प्रदेश (2)।

(ङ): किसी भी प्रकार की कार्यात्मक या प्रशासनिक चुनौती की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(च): गरिमा गृहों के लाभार्थियों से कोई भी शिकायत या परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ): गरिमा गृह आश्रयों की प्रचालन दक्षता, सेवा वितरण और पहुंच में सुधार के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) प्रचालन दिशा-निर्देश 06.02.2025 को संशोधित किए गए हैं।
(ii) आवधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों और निरीक्षणों के माध्यम से नियमित निगरानी की जाती है।
(iii) गरिमा गृहों के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
(iv) जागरूकता बढ़ाने और गरिमा गृह आश्रयों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए राज्य सरकारों और सामुदायिक आधारित संगठनों के साथ आउटरीच गतिविधियां चलाई जाती हैं।

संलग्नक-I

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृहों की प्रचालन स्थिति के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2624, जिसका उत्तर 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान गरिमा गृह आश्रयों और लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय-आधारित संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	सर्वोदय महिला कल्याण समिति	0	0	0	25	25
2	असम	नेवार्ड	0	0	0	25	25
3	बिहार	दोस्ताना सफर	19	20	2	43	25
4	छत्तीसगढ	मितवा संकल्प समिति	47	47	25	35	40
5	दिल्ली	मित्र ट्रस्ट	92	16	20	25	25
6	गुजरात	लक्ष्य ट्रस्ट	60	19	5	23	23
7	कर्नाटक	सीएडी एमएस ट्रस्ट	0	0	0	26	39
8	मध्य प्रदेश	तपिश फाउंडेशन	0	0	0	8	8
9	महाराष्ट्र	आरजू फाउंडेशन	44	22	21	25	27
10	महाराष्ट्र	किन्नर अस्मिता	44	20	20	23	26
11	महाराष्ट्र	ट्वीट फाउंडेशन	43	21	19	24	26
12	ओडिशा	साखा	50	2	22	25	34
13	पंजाब	मनसा फाउंडेशन	0	0	0	25	25
14	राजस्थान#	नई भोर संसता	27	6	23	25	0
15	तमिलनाडु	ट्रांसजेंडर अधिकार संघ	58	15	3	20	21

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय-आधारित संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
16	उत्तर प्रदेश	एकता सेवा संस्था	0	0	0	25	28
17	पश्चिम बंगाल	गोखले रोड बंधन	30	20	4	13	22
18	पश्चिम बंगाल	कोलकाता रिस्ता	30	19	5	14	24
कुल			**544**	**227**	**169**	**429**	**443**

* वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान झारखंड (1), मणिपुर (1), मध्य प्रदेश (1), पुडुचेरी (1) और उत्तर प्रदेश (2) में गरिमा गृह स्वीकृत किए गए थे।

#- इस केंद्र ने वर्ष 2024-25 से कार्य करना बंद कर दिया है।

संलग्नक-II

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृहों की प्रचालन स्थिति के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2624, जिसका उत्तर 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

संचालन और रखरखाव के लिए आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2023-24	2024-25	2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	5.02	30.71
2.	असम	0	0	5.02	14.99
3.	बिहार	29.17	29.63	0	27.10
4.	छत्तीसगढ़	29.17	26.86	9.09	42.83
5.	दिल्ली	29.17	33.95	30.72	31.44
6.	गुजरात	29.17	24.87	22.68	26.94
7.	झारखंड	0	0	0	5.02
8.	कर्नाटक	0	0	5.02	30.71
9.	मध्य प्रदेश	0	0	5.02*	5.02
10.	महाराष्ट्र	87.51	70.11	56.24	141.48
11.	मणिपुर	0	0	0	5.02
12.	ओडिशा	29.17	28.76	26.59	31.41
13.	पंजाब	0	0	5.02	28.99
14.	राजस्थान#	29.17	30.10	0	31.42
15.	तमिलनाडु	29.17	9.77	0	22.65
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	5.02	10.16
17.	पश्चिम बंगाल	58.34	45.88	0	89.43
	कुल	**350.04**	**299.93**	**175.44**	**575.32**

* - निधियां स्वीकृत कर दी गई हैं, लेकिन सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकरण की समस्या के कारण जारी नहीं की गई है।

#- इस केंद्र ने वर्ष 2024-25 से कार्य करना बंद कर दिया है।

नोट:वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान झारखंड (1), मणिपुर (1), मध्य प्रदेश (1), पुडुचेरी (1) और उत्तर प्रदेश (2) में गरिमा गृह स्वीकृत किए गए थे।

संलग्नक-III

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृहों की प्रचालन स्थिति के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2624, जिसका उत्तर 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

गरिमा गृह के कर्मचारियों का कार्य भूमिका-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कर्मचारी स्थिति	संख्या	भूमिकाएं और उत्तरदायित्व
1.	परियोजना निदेशक	1	परियोजना निदेशक गरिमा गृह के समग्र प्रबंधन, समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें योजना के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन, कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, लाभार्थियों के रिकॉर्ड का रखरखाव और प्रभावी सेवा वितरण शामिल है।
2.	परियोजना प्रबंधक	1	परियोजना प्रबंधक गरिमा गृह के समग्र दैनिक प्रबंधन और प्रभावी कामकाज के लिए उत्तरदायी हैं, जो देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
3.	लेखा सहायक	1	लेखा सहायक गरिमा गृह के दैनिक खातों और पृथक बैंक खाते के रखरखाव के साथ-साथ खरीद से संबंधित वाउचरों और बिलों की जांच के लिए उत्तरदायी हैं।
4.	ब्रिज कोर्स समन्वयक	1	ब्रिज कोर्स समन्वयक गरिमा गृह में एक सहायक और समावेशी वातावरण तैयार करने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर निवासियों के शैक्षणिक, जीवन कौशल और व्यावसायिक विकास को सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।
5.	परामर्शदाता	1	परामर्शदाता विश्वास बनाकर, ट्रांसजेंडर निवासियों की भावनात्मक और व्यक्तिगत चिंताओं का समाधान करके तथा उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाकर उनकी मनोसामाजिक सहायता करते हैं। परामर्शदाता निवासियों को लक्ष्यों की पहचान करने, कार्य योजनाएं विकसित करने और उनके कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेंगे।

क्र.सं.	कर्मचारी स्थिति	संख्या	भूमिकाएं और उत्तरदायित्व
6.	रसोइया	1	रसोइया भोजन पकाने और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
7.	मल्टी टास्क वर्कर	1	मल्टी टास्क वर्कर आवश्यक वस्तुओं की खरीद, खरीद के रिकॉर्ड के रखरखाव और प्रशासनिक तथा कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में सहायता करने सहित गरिमा गृह के दैनिक प्रबंधन में सहयोग देने के लिए उत्तरदायी है।
8.	सफाई कर्मचारी	1	सफाई कर्मचारी गरिमा गृह की स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
9.	चौकीदार	3	चौकीदार गरिमा गृह की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
	कुल	**11**	
